आज दिनांङ्क 27.05.2016, दिन शुक्रवार को अपराह्न 02:00 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 ज्योति शंकर, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, के0ए0डी0 कालेज, इलाहाबाद।	सदस्य
3.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्या, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
4.	प्रो0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम पी0जी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 नन्दलाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 संदीप सिंह, उपाचार्य, सतत् प्रौढ़ शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 जी0एल0 श्रीवास्तव, प्राचार्य, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	डॉ0 सुधांशु पाण्डया, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री राजबहादुर यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. (क) सत्र 2015–16 की संस्थागत, विषम तथा सम सेमेस्टर परीक्षाओं एवं मेडिकल परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा केन्द्र निर्धारण व परिणाम घोषित किए जाने से परीक्षा समिति को संसूचित हुई।

(ख) सत्र 2015–16 की व्यक्तिगत परीक्षा की मौखिकी व सत्र 2014–15 के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की छूटी हुई मौखिकी दिनांक 04 मई, 2016 से प्रारम्भ कर सम्पन्न होने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

(ग) माह जनवरी एवं फरवरी, 2016 की एलएल0बी0/बी0ए0एलएल0बी0 की विषम सेमेस्टर की निरस्त/स्थगित परीक्षाएं पुनः दिनांक 28 व 30 मई, 2016 को परीक्षा केन्द्र डी0डी0यू0 राजकीय महाविद्यालय, सैदाबाद, इलाहाबाद एवं अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर नगर में सम्पन्न कराये जाने की सहमति परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से प्रदान की।

(घ) **कतिपय छात्रों के 7 वर्ष से अधिक समय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनके परीक्षाफल सत्यापित करने पर पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि सत्यापन हेतु कतिपय छात्रों केऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है, जिसमें छात्रों ने अपनी स्नातक की परीक्षा 07 वर्ष की निर्धारित अवधि के बजाय 08 वर्ष या उससे अधिक समय में पूर्ण की है, जिससे छात्रों के अंकपत्रों का सत्यापन नहीं हो रहा है।

उक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चूँकि छात्रों ने परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा उन्हें उस समय 07 वर्ष से अधिक की अवधि के कारण परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका नहीं गया है। इस कारण कार्यालय त्रुटि का लाभ छात्रों को प्रदान करते हुए परीक्षा समिति ने उनके परीक्षाफल सत्यापित किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/सत्यापन)

(ड.) **छात्र अफजाल अहमद को बी0यू0एम0एस0 (प्रथम व्यावसायिक) की प्रयोगिकी में अंक प्रदान किए जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय की याचिका सं0–61707/2015 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2015 एवं अवमानना याचिका सं0–1427/206 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 के अनुक्रम में श्री अफजाल अहमद द्वारा इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था कि वह बी0यू0एम0एस0 प्रथम व्यावसायिक पूरक परीक्षा–1998 के अनुक्रमांक–1411 से प्रश्नपत्र तशरीह–उल–बदन की लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिकी में सम्मिलित हुआ था। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अंकतालिका में उसे प्रायोगिकी में अनुपस्थित अंकित कर परीक्षाफल अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, किन्तु छात्र को बी0यू0एम0एस0 द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करते हुए अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत की जा चुकी है। छात्र द्वारा

अनुरोध किया गया है कि उसे उक्त प्रायोगिकी में अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। साथ ही परीक्षा समिति के सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि तत्कालीन प्राचार्य के पत्र में भी यह उल्लिखित किया गया है कि छात्र सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, जिसके अंक विश्वविद्यालय को पूर्व में प्रेषित किए जा चुके है। किन्तु उक्त अंक विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य से प्रश्नगत प्रायोगिकी अंक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, किन्तु प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया कि महाविद्यालय में अंक–प्रतिपर्ण उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थी के प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति यह निर्णय लिया कि छात्र बी0यू0एम0एस0 द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक परीक्षाएं पूर्व में ही उत्तीर्ण कर चुका है तथा उसे सम्बन्धित पाठ्यक्रम की उपाधि भी निर्गत की जा चुकी है। किन्तु उसके बी0यू0एम0एस0 प्रथम व्यावसायिक की प्रायोगिकी के अंक उपलब्ध नहीं है। अतः सम्बन्धित प्रायोगिकी में न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum Pass Marks) प्रदान करते हुए उसका परीक्षाफल संशोधित कर दिया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (मेडिकल अतिगोपनीय)

(च) छात्र उपेन्द्र सिंह की बी0एससी0 तृतीय वर्ष–2005 की अंकतालिका का सत्यापन करने पर विचार :–

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि श्री उपेन्द्र सिंह, बी0एससी0 तृतीय वर्ष–2005 में अनुक्रमांक–602479 से सम्मिलित हुआ था तथा प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षाफल अनुत्तीर्ण था परन्तु त्रुटिवश सारणीयन पंजिका में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अंकित हो गया था, जिसके आधार पर छात्र गणित प्रथम प्रश्नपत्र की बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित हुआ तथा 38 अंक प्राप्त किये। तद्नुसार छात्र को अंकतालिका निर्गत की गयी। सत्यापन हेतु छात्र की अंकतालिका प्राप्त होने पर अतिगोपनीय के अभिलेखों में छात्र के बैकपेपर परीक्षा के अंक इस आधार पर अंकित नहीं किए गए है कि छात्र बैकपेपर परीक्षा हेतु अर्ह नहीं था।

चूँकि छात्र बैकपेपर परीक्षा के लिए अर्ह न होने पर भी कार्यालय त्रुटि के कारण बैकपेपर की परीक्षा दी है और वह इस प्रकार उत्तीर्ण होकर सेवायोजित हुआ है। अतः उसके बैकपेपर परीक्षा पर प्राप्त अंकों के आधार पर संशोधित परीक्षाफल का सत्यापन किए जाने का निर्णय परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से लिया।

(छ) मेडिकल परीक्षाओं से सम्बन्धित अनुचित साधन प्रयोग समिति की अनुशंसा पर विचार :–

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि पैरामेडिकल (B.Sc.-Optometry, Radio Imaging, Physiotheraphy & Medical Lab Technology) की परीक्षाएं नवम्बर–2015, एम0बी0बी0एस0 (Prof.-II & Final Prof. Part-II) की परीक्षाएं फरवरी/मार्च–2016, एम0बी0बी0एस0 (Prof-I & Final Prof Part-I) तथा बी0डी0एस0–Prof. III की परीक्षाएं सितम्बर/अक्टूबर/नवम्बर–2015 में एवं बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 (I, II & III Prof.) की मार्च–2016 में परीक्षाएं सम्पन्न हुई थी। उक्त परीक्षाओं को नकलविहीन एवं शुचितापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये थे। उक्त पर्यवेक्षकों ने अपने प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए थे, जिनका अनुशीलन विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रयोग समिति ने किया। अनुचित साधन प्रयोग समिति की आख्या (सलंग्न) के आधार पर पैरामेडिकल (B.Sc.-Optometry, Radio Imaging, Physiotheraphy & Medical Lab Technology) के 04, एम0बी0बी0एस0 के 14, बी0डी0एस0 के 1, बी0यू0एम0एस0 के 16 एवं बी0ए0एम0एस0 के 06 छात्रों को नकल में व्यक्तिगत रूप से आरोप सिद्ध मानते हुए, उनकी व्यक्तिगत (Personal) परीक्षाएं निरस्त करते हुए उन्हें सम्बन्धित पाठ्यक्रम की आगामी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त अनुचित साधन प्रयोग समिति की उक्त अनुशंसा को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (यू.एफ.एम.)

(ज) निर्धारित अवधि के बाद महाविद्यालय द्वारा स्वेच्छया अपने स्तर से विषय परिवर्तन किए जाने पर ₹ 1000/– का दण्ड शुल्क महाविद्यालयों पर आरोपित किए जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किया जाना :–

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित आवेदन पत्रों में विषय, छात्र/पिता/माता के नामों की वर्तनी आदि में सुधार करने हेतु महाविद्यालयों को पर्याप्त समय देते हुए दण्ड शुल्क आरोपित किए जाने किए जाने की चेतावनी दी गयी थी, किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा उक्त चेतावनी को नजरन्दाज करते हुए स्वेच्छया अपने स्तर से विषय परिवर्तन करते हुए कतिपय छात्रों को प्रवेश पत्र में अंकित विषय से इतर विषय की परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया है। जिसके कारण विश्वविद्यालय का मास्टर डेटाबेस परिवर्तित हो गया है। इस कारण सम्बन्धित छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने में असुविधा होती है। महाविद्यालयों के उक्त स्वेच्छाचरण को रोकने के लिए तथा अन्य महाविद्यालयों को सन्देश देने के लिए

विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित स्वेच्छाचारी महाविद्यालयों के विरुद्ध ₹ 1000/– का आर्थिक दण्ड शुल्क आरोपित किया गया है।

परीक्षा समिति ने विश्वविद्यालय की उक्त पहल की सराहना करते हुए यह निर्णय लिया कि उक्त आर्थिक दण्ड शुल्क केवल सत्र 2015–16 में ही आरोपित कर वसूला जाय। भविष्य में इस स्वेच्छाचरण को रोकने के लिए सत्रारम्भ के समय से ही कोई ठोस कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

27/5/16

(प्रो० जे0वी0 वैशम्पायन)
कुलपति

27/5/16

(राजबहादुर यादव)
परीक्षा नियंत्रक